निशिकान्त झा

बनाम

बिहार राज्य

(Nishi Kant Jha

V.

State of Bihar)

(2 दिसम्बर, 1968)

(मु० न्या० एम० हिदायतुल्लाह, न्या० जे० सी० शाह, वी० रामस्वामी, जी० के० मित्तर और ए० एन० ग्रोवर)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम—धारा 3, 34— साक्ष्य—अभियुक्त को पुलिस के हवाले करने के पूर्व गांव के मुखिया को किया गया कथन, क्या ग्राह्य है ? क्या कथन पर पूर्ण रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए ?

अपीलार्थी पर रेल के एक डिब्बे में अपने सहपाठी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। अपीलार्थी को एक नदी में नहाते और खून के धब्बों वाले कपड़े धोते हुए देखा गया था। उसे गांव के मुखिया के पास ले जाया गया जहां पर उसने एक कथन किया और उस पर हस्ताक्षर किए। इस कथन में उसने यह स्वीकार किया कि वह हत्या के स्थल पर उपस्थित था किन्तु उसने यह कहा कि अपराध किसी और व्यक्ति ने किया था, कि वह अपराध को रोकने का प्रयत्न करते हुए हमलावर के चाकू से क्षत हुआ था और यह कि हमलावर गाड़ी से कूद पड़ा। उसने उसका अनुसरण किया क्योंकि उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की आशंका थी। तत्पश्चात् अपीलार्थी को पुलिस के हवाले कर दिया

गया। खून के निशानों वाला चाकू, जो आहत व्यक्ति की क्षतियों का कारण हो सकता था, उसके शरीर पर पाया गया। उसके शरीर पर त्वचा तक गहरी कटने की क्षति पाई गई थी जो कपड़ों पर अत्यधिक खून के धब्बों का कारण नहीं हो सकती थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन अपीलार्थी ने अपने कथन में अपराध से अपने सभी सम्बन्धों से इन्कार किया और यह कहा कि किसी और स्थान पर एक लड़ाई में वह क्षत हो गया था और उसके कपड़ों, पुस्तकों, आदि पर खून के धब्बे पड़ गए थे। उसने यह स्वीकार किया कि उसे मुखिया के घर ले जाया गया था और उसने यह कहा कि उसके पास एक निरंक कागज था और मारपीट करने पर और धमकी देने पर उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिये लेकिन उसने इस बात से इन्कार किया है कि लिखित रूप में जो कथन किया गया है वह उसने किया था। इस न्यायालय में अपील करने पर अपीलार्थी ने यह दलील दी कि अपीलार्थी को पुलिस के हवाले करने से पूर्व गांव के मुखिया ने जो कथन अभिलिखित किया था वह साक्ष्य में अग्राह्य है और यदि ग्राह्य है तो कथन को पूर्ण रूप से लेना होगा और एक भाग को नामंजूर करते हुए उसके दूसरे भाग पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपील खारिज करते हुए—

अभिनिर्धारित—(i) इस दलील को कि कथन स्वेच्छा नहीं किया गया था और इस प्रकार उसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता, नामंजूर किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपीलार्थी को मुखिया के पास ले गए थे और जिन्हें प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किया गया था उनमें से किसी व्यक्ति से यह नही पूछा गया था कि उनमें से किसी ने अपीलार्थी पर हमला किया था और न ही ऐसा कुछ पूछा गया था कि अपीलार्थी को प्रपीड़ित किया गया था या धमकी दी गई थी कि यदि उसने यह कथन न किया तो उसके बुरे परिणाम होंगे। स्वयं अपीलार्थी के यह कहने से कि उसे कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, उसकी इस बात का खंडन होता है कि उसने वह कथन धमकी या मारपीट के कारण किया क्योंकि वैसा करने के लिए तो बस इतना ही आवश्यक था कि उसके हस्ताक्षर ले लिए जाते।

(ii) इस मामले की परिस्थितियों में मुखिया के समक्ष किए गए कथन का निर्दोषिता सम्बन्धी भाग न केवल सहज रूप से अनधि-संभाव्य है बल्कि अन्य साक्ष्य उसके प्रतिकूल पाया गया है। इसे नामंजूर करके और दोषारोपण सम्बन्धी भाग को मंजूर करके ठीक ही किया गया है।

रेक्स बनाम **क्लूज** (Rex v. Clewes, 4 कार० एण्ड पी० 221; **हनुमंत** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** (Hanumant v. The State of Madhya Pradesh) (1952) एस०सी०आर० 1091; **पलविन्दर कौर** बनाम **पंजाब राज्य** (Palvinder Kaur v. The State of Punjab) (1953) एस० सी० आर० 94; **सम्राट** बनाम **बालमुकन्द** (Emperor v.

Balmukund) ग्राई० एल० ग्रार० 52 इलाहाबाद 1011; **नारायण सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** (Narain Singh v. The State of Punjab) (1963) 3 एस० सी० ग्रार० 678 निर्दिष्ट किए गए

दांडिक ग्रपीली अधिकारिता: 1966 की सं० 190 (एन) वाली दांडिक अपील

1963 की सं० 14 वाली सरकारी ग्रपील में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 4 फरवरी, 1966 वाले निर्णय ग्रौर ग्रादेश के विरुद्ध विशेष इजाज़त लेकर की गई ग्रपील।

ग्रपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री बी० पी० सिंह ग्रौर एस० एन० प्रसाद।

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री ए० एस० ग्रार० चारी ग्रौर यू० पी० सिंह।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति जी० के० मित्तर ने दिया।

न्यायाधिपति मित्तर—

इस ग्रपील में ग्रन्तर्वलित मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ग्रपीलार्थी का कथन जो उसे पुलिस के हवाले किये जाने से पहले गांव के मुखिया ने ग्रभिलिखित किया था साक्ष्य में ग्राह्य है ग्रौर यदि ग्राह्य है तो क्या न्यायालय उसका कोई भाग ग्रहण न करके शेष भाग का ग्रन्य प्रस्तुत साक्ष्य के साथ सहारा ले कर उसे उस ग्रपराध के लिए, जिसका उस पर ग्रारोप लगाया गया था, दोषी ग्रभिनिर्धारित कर सकता है। ग्रपीलार्थी के विरुद्ध जो साक्ष्य दिया गया था वह सब परिस्थितिजन्य था ग्रौर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि मुखिया के समक्ष किए गए कथन पर विचार न किया जाए तो ग्रपीलार्थी को दोषी ग्रभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता।

ग्रपीलार्थी झाझा के एक स्कूल का विद्यार्थी था ग्रौर उस पर यह ग्रारोप लगाय गया था कि उसने 12 ग्रक्टूबर, 1961 को उसी स्कूल के सहपाठी की हत्या की है ग्रौर उससे 34 रुपये की राशि लूटी है। संथाल परगना के ग्रपर सेशन न्यायाधीश ने ग्रपीलार्थी को दोनों ग्रारोपों से दोषमुक्त कर दिया किन्तु ग्रपील करने पर उच्च न्यायालय ने उसे हत्या के ग्रारोप का दोषी पाया ग्रौर ग्राजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया। ग्रपीलार्थी ने विशेष इजाज़त लेकर इस न्यायालय में ग्रपील की है।

हत्या के पता चलने ग्रौर ग्रपीलार्थी के पकड़े जाने तक ग्रभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है। 12 ग्रक्टूबर, 1961, को जब बरौनी सियालदाह पैसेंजर गाड़ी मधुपुर स्टेशन

1968(12) eILR(PAT) SC 1

पर संध्या समय 3 बजकर 52 मिनट पर पहुँची तो उस गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे के शौचालय में एक व्यक्ति का मृत शरीर पाया गया। अनिल कुमार राय नाम का एक व्यक्ति (झाझा और मथुरापुर के बीच) जसीडीह स्टेशन पर उक्त डिब्बे में चढ़ना चाहता था किन्तु वह दरवाजा नहीं खोल सका और इसलिए उसे दूसरे डिब्बे में चढ़ना पड़ा। लाश गर्दन कटी और खून से लथपथ पाई गई। गर्दन की शिराओं से खून बह रहा था और शौचालय के फर्श पर बहुत मात्रा में फैला हुआ था। मृत व्यक्ति के कपड़ों पर और उसकी कंघी, रूमाल जैसी चीजों पर खून के धब्बे पड़े हुए थे और शौचालय में उंगलियों के निशान भी थे। मृतक के फोटो लिए गए और बाद में यह पहचान लिया गया कि वह शरीर झाझा हाई स्कूल के X-बी विज्ञान कक्षा के विद्यार्थी जयप्रकाश दुबे का था। शव परीक्षा रिपोर्ट से पता चला किसी तेज धार वाले हथियार से कम से कम 6 क्षतियां, कटी हुई, की गई थीं। क्षतियां मानव वधकारी थीं और मृत्यु खून बहने और सदमे के कारण हुई थी।

रामकिशोर पांडे नाम के एक व्यक्ति (अभियोजन साक्षी 17) ने अपीलार्थी को 12 अक्टूबर, 1961 को सूर्यास्त से एक घंटा पूर्व पतरो नदी में साबुन से खून के धब्बों वाले कपड़ों को धोते हुए देखा। पांडे ने यह देखा कि अपीलार्थी का बांया हाथ कटा हुआ था और उसने अपीलार्थी से पूछा कि उसके कपड़ों पर खून के धब्बे कैसे लगे। अपीलार्थी का कहना था कि जब वह गंगामरनी की ओर से आ रहा था तो एक ग्वाले ने उस पर हमला करके और शीशे से उसकी उंगली काट दी और उसके रुपये लेकर भाग गया। सपतार गांव में अपने घर पहुंचने पर पांडे ने यह बात शिवशंकर पांडे (अभियोजन साक्षी 25) को बताई। शिवशंकर पांडे को अपने बड़े भाई बासुदेव से यह पता चला कि बरौनी गाड़ी में एक हत्या की गई है और हत्यारा गायब है। उन्हें यह सन्देह हुआ कि अपीलार्थी हत्यारा हो सकता है और उन्होंने यह निश्चय किया कि उसे जाकर ढूंढा जाए। दो चौकीदारों पाठल तुरी और अयोध्या तुरी के साथ वे तीनों उस नदी के किनारे पर गए किन्तु अपीलार्थी वहां उन्हें नहीं मिला। वहां जगन्नाथ महतो और कामेश्वर महतो (अभियोजन साक्षी 19 और 20) ने उन्हें यह बताया कि उन्होंने गीले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति को देखा था जो देवघर का रास्ता पूछ रहा था। आगे बढ़कर इन व्यक्तियों ने टिटियापुर से लगभग एक मील पर अपीलार्थी को एक बैलगाड़ी के पीछे जाते हुए देखा। सामना होने पर अपीलार्थी ने कहा कि वह अपनी बहन के घर रोशन गांव को जा रहा था और उसने कोई हत्या नहीं की है। उस समय अपीलार्थी पायजामा और कमीज पहने हुए था और उसके पास कुछ पुस्तकें, कुछ कापियां और एक छुरा था और इसके अलावा एक पायजामा और एक कमीज थी जो दोनों गीले थे। उन्होंने अपीलार्थी को पकड़ लिया और उसे सपतार गांव ले गए। वे गांव के सरपंच के यहां गए। सरपंच ने उन्हें यह निदेश दिया कि वह अपीलार्थी को मुखिया के पास ले जाएं और उसने स्वयं कोई जांच पड़ताल नहीं की। मुखिया का घर लोराजोर में सपतार गांव से एक मील के फासले पर था। यह लोग वहां पर रात के लगभग 9 बजे पहुंचे और वहां पर वे दो या तीन घंटे ठहरे। 12 अक्टूबर, 1961 की आधी

रात के लगभग मुखिया ने अपीलार्थी का कथन (प्रदर्श-6) लिखा और उन लोगों को यह निदेश दिया कि वह अपीलार्थी को पुलिस थाने ले जाएं। वे लोग 13 अक्टूबर, 1961 को प्रातः 5 बजे के लगभग मधुपुर पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस के उप-निरीक्षक ब्रज बिहारी पाठक (अभियोजन साक्षी 39) ने दो साक्षियों की उपस्थिति में अपीलार्थी की सभी चीजें अभिगृहीत करके एक अभिग्रहण सूची तैयार की। जो वस्तुएं अभियुक्त से अभिगृहीत की गई थीं उनमें एक कमीज, एक पायजामा, एक चमड़े की पेटी, एक जोड़ी जूता, चार खून के धब्बों वाली कापियां, दो पुस्तकें, जिनमें से एक के पृष्ठ पर खून के धब्बे लगे हुए थे, शामिल थीं। उसने अपीलार्थी की एक क्षति रिपोर्ट भी तैयार की और उसे परीक्षा के लिए डाक्टर के पास भेजा। मधुपुर के रेलवे पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर गोरखप्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी 51) ने अन्वेषण किया, बरौनी पैसेंजर के डिब्बे में पाई गई विभिन्न वस्तुएं अपने कब्जे में लीं, शव परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की, साक्षियों का परीक्षण किया और सभी तात्विक प्रदर्शों को परीक्षा और रिपोर्ट के लिए रसायन परीक्षक को भेज दिया। रसायन परीक्षक की रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी निशिकान्त झा के पास पाई गई वस्तुओं और परीक्षा के लिए भेजी गई निम्नलिखित वस्तुओं पर मनुष्य के खून के धब्बे लगे हुए थे-(1) चमड़े की पेटी का टुकड़ा, (2) कच्छे, पायजामे और कमीज के टुकड़े, (3) चप्पल की जोड़ी, (4) एक जूते का भाग, (5) एक बड़ा चाकू, और (6) कुछ पुस्तकें, कागज और एक कापी। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया था कि मृत व्यक्ति के शरीर पर जिस नमूने का खून पाया गया था वह उसी रक्त समूह का था जो कि अपीलार्थी का है।

अपीलार्थी ने यह कहा कि वह दोषी नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन उसके कथन पर विचार करने से पूर्व उसका वह कथन (प्रदर्श 6), जो लोराजोर में उसे पुलिस के हवाले करने के पहले मुखिया ने अभिलिखित किया था, उद्धृत करना उपयोगी होगा। वह कथन इस प्रकार है :—

> "मैं नीलकंठ झा का पुत्र, निशिकान्त झा, बाबरपुर, पुलिस स्टेशन जसीडीह उपखंड देवघर जिला संथाल परगना का निवासी हूं। आज 12-10-61 को आधी रात के लगभग 12 बजे सपतार गांव के चौकीदार पाठल तुरी और अयोध्या तुरी तथा उसी गांव के शिवशंकर पांडे, रामकिशोर पांडे और बासुदेव पांडे ने मुझे गिरफ्तार किया और मुझे यहां लाए। मेरा कथन यह है कि जब मैं झाझा में बरौनी पैसेंजर के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ा तब एक अज्ञात व्यक्ति उसमें बैठा हुआ था। जब गाड़ी सिमुलताल के पास पहुंची और जब वह वहां रुकी तो लालमोहन शर्मा ने जो देवघर पुलिस थाना देवघर जिला डुमका का निवासी है, उस डिब्बे में प्रवेश किया। मैं उसे पहले से ही जानता था। जब गाड़ी जसीडीह स्टेशन पर रुकी और जब मैं उतरने के लिए उठा तो लालमोहन शर्मा ने, जो कि गाड़ी में

सिमुलताला पर चढ़ा था, मुझे जसीडीह स्टेशन पर उतरने नहीं दिया। जब गाड़ी जसीडीह स्टेशन से आगे बढ़ी उसी समय लालमोहन शर्मा उस बाहरी व्यक्ति को शौचालय में ले गया और उसे पीटने लगा। इस पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया इसके परिणामस्वरूप मेरे बाएं हाथ की तर्जनी चाकू से क्षत हो गई। इस पर उसने मुझे सतर्क रहने के लिए कहा। इस पर मैं डर गया और मैं चुपचाप उसी डिब्बे में बैठा रहा। उसने आगे यह भी कहा कि मुझे उस डिब्बे का दरवाजा और खिड़की नहीं खोलनी चाहिएं और यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं मौत को बुलावा दूंगा। उसी समय उसने उसको मार डाला। जब गाड़ी मथुरापुर के पास पहुंच रही थी तब वह उस चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा और भाग गया। लालमोहन शर्मा भाग गया। मैं भी मधुपुर के पास पतरो नदी की ओर कूद गया और अपनी जान बचाने के लिए भाग लिया क्योंकि मुझे यह आशंका थी कि मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसे गिरफ्तार किया जाएगा। तत्पश्चात् मैं पतरो नदी की ओर पड़ने वाले रातु बहियार गांव में आ गया और उसके बाद मैं अपने कपड़े लेकर पतरो नदी पर गया और उन्हें साबुन से धो डाला। इसी बीच एक बैलगाड़ी देवघर को जा रही थी और इसलिए मैं उस बैलगाड़ी पर बैठ कर देवघर के लिए रवाना हो गया। मैंने लगभग एक मील रास्ता तय किया होगा कि पाठल तुरी, शंकर पांडे, रामेश्वर पांडे, चौकीदार अयोध्या तुरी और रामेश्वर महतो ने मुझे पकड़ कर बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया और आपके समक्ष ले आए। मैं उनके नाम इसलिए जानता हूं कि मैंने उनके नाम उनसे पूछे थे।"

इस कथन के अन्त में एक पृष्ठांकन किया गया है जो इस प्रकार है :—

"अपने कथन को समझ लेने के पश्चात् मैं अपने हस्ताक्षर कर रहा हूं।"

उस कथन के नीचे जो हस्ताक्षर किए गए हैं उनके बारे में अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि वे उसके हस्ताक्षर हैं और उस पर तारीख 12 अक्टूबर, 1961 है। उक्त कथन से निम्नलिखित बातें निकलती हैं:—

(1) अपीलार्थी झाझा स्टेशन पर बरौनी पैसेंजर के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ा और उस डिब्बे में पहले से एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे अपीलार्थी नहीं जानता था।

(2) जब गाड़ी सिमुलताल पहुंची तो देवघर निवासी लालमोहन शर्मा ने उस डिब्बे में प्रवेश किया।

(3) जब गाड़ी आगे बढ़ी और जसीडीह स्टेशन पर रुकी तब अपीलार्थी नीचे उतरना चाहता था किन्तु लालमोहन शर्मा ने उसे ऐसा करने से रोका।

(4) जसीडीह स्टेशन से गाड़ी के चलने के पश्चात् लालमोहन उस डिब्बे में पहले से बैठे हुए व्यक्ति को पकड़ कर शौचालय में ले गया और उसे पीटने लगा।

(5) अपीलार्थी यह रोकना चाहता था और हमलावर के हाथ को पकड़ने का प्रयत्न करते हुए वह चाकू से घायल हो गया। उसके पश्चात् उसने उस अपराध को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।

(6) लालमोहन शर्मा ने उसे धमकी दी कि यदि वह डिब्बे के दरवाजे या खिड़की को खोलेगा तो उसे मार डाला जाएगा और उसने उस अज्ञात व्यक्ति को मार डाला।

(7) जब गाड़ी मधुरापुर पहुंच रही थी तो लालमोहन उसमें से कूद पड़ा और भाग गया।

(8) जब गाड़ी मधुपुर के पास पतरो नदी पार कर चुकी थी तब अपीलार्थी भी उस गाड़ी से कूद पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया क्योंकि उसे यह आशंका थी कि वह गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि वही उस डिब्बे में अकेला बचा था।

(9) वह पतरो नदी के पास रातु बहियार गाँव में गया और नदी में साबुन से अपने कपड़े धोए।

(10) उसके पश्चात् वह देवघर को जाती हुई बैलगाड़ी में सवार हो गया किन्तु लगभग एक मील तय कर लेने के पश्चात् उसे पाठल तुरी शंकर पांडे, राम किशोर पांडे, चौकीदार अयोध्या तुरी और रामेश्वर महतो ने पकड़ लिया।

कथन को देखते ही यह प्रकट होता है कि जब लालमोहन शर्मा ने हत्या की तब अपीलार्थी उस डिब्बे में मौजूद था, यह कि वह आहत व्यक्ति को नहीं जानता था, यह कि हत्या तब की गई थी जब गाड़ी जसीडीह स्टेशन छोड़ चुकी थी, यह कि उसे जसीडीह स्टेशन पर उतरने से रोका गया था, यह कि हमलावर के चाकू से उसके बाएं हाथ की तर्जनी क्षत हो गई थी और यह कि वह पतरो नदी के पास गाड़ी से कूद पड़ा था। उसने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि जब वह नदी में अपने कपड़े धो रहा था तब रामकिशोर पांडे ने उससे पूछताछ की थी और न ही उसने इस भाव का कोई कथन किया है कि उसे यह क्षति एक ग्वाले के साथ मारपीट के कारण पहुंची थी।

विचारण के समय स्कूल के प्रधान अध्यापक ने यह साक्ष्य दिया कि आहत व्यक्ति जयप्रकाश दुबे एक पुराना विद्यार्थी था, किन्तु अपीलार्थी ने उस स्कूल में मार्च, 1961

1968(12) eILR(PAT) SC

में प्रवेश पाया था। वे एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे किन्तु वे दोनों एक ही अनुभाग में नहीं थे क्योकि उनमें से एक कला अनुभाग में था जब कि दूसरा विज्ञान अनुभाग में था। प्रधान अध्यापक ने इस बात का भी अभिसाक्ष्य दिया कि दोनों फुटबाल खेला करते थे और यह ज्ञात नहीं है कि उन दोनों के बीच कोई शत्रुता थी।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन अपीलार्थी ने अपने कथन में यह कहा कि वह आहत व्यक्ति के चित्रों को नहीं पहचान सकता कि वे चित्र जयप्रकाश दुबे के हैं और यह कि वह जयप्रकाश दुबे को नहीं जानता था। वह झाझा में बरौनी पैसेंजर के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में नहीं चढ़ा था और जब गाड़ी मधुपुर स्टेशन के पास पहुँच रही थी तब वह गाड़ी से नहीं कूदा था। उसने यह स्वीकार किया है कि उसने रातु बहियार गाँव के निकट पतरो नदी में अपने खून के दाग वाले कपड़े धोए थे और एक व्यक्ति ने उससे इस बात का कारण पूछा था कि उसके कपड़ों पर खून के दाग क्यों लगे हैं। उसने यह स्वीकार नहीं किया कि उसने किसी से यह कहा था कि जब वह गंगामरनी की ओर से आ रहा था तब किसी चरवाहे ने उस पर हमला किया था और शीशे से उसकी उंगली काट दी थी और उसने यह कहा कि उस प्रश्न का उत्तर उसने यह दिया था कि एक चरवाहे से रास्ता पूछने पर उसका कुछ झगड़ा हो गया था। इस पर वह चरवाहा तेज़ धार वाले चाकू से उस पर हमला करना चाहता था और उसे पकड़ने पर उसका हाथ कट गया। उसने इस बात से इन्कार किया है कि उसने देवघर जाने वाले मार्ग के बारे में किसी से पूछा था और उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसे एक बैलगाड़ी के पीछे जाते हुए टिटियापुर गांव से एक मील आगे गिरफ्तार किया गया था। उसने यह स्वीकार किया है कि उसके हाथ में वे कपड़े जिन्हें नदी में धोया गया था और खून के दाग वाली पुस्तकें और कापियाँ थीं उनमें से कुछ पुस्तकों के पृष्ठों पर खून के दाग लगे हुए थे। उसने यह स्वीकार नहीं किया है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया था तब उसके पास एक चाकू था। उसने यह स्वीकार किया है कि उसे मुखिया सुदामा रावत के घर ले जाया गया था किन्तु उसका कहना यह है कि जब वह वहां पहुंचा तब वे सब उसे पीटने लगे और उससे कहा कि वह जैसा वे बताएं वैसा कथन करे। प्रदर्श 6 के सम्बन्ध में उसका कहना है कि यह उसका कथन नहीं है किन्तु उसे एक निरंक कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और बाद में उसके कथन के रूप में उसका उपयोग किया गया है। उसने इस बात से इन्कार किया है कि उसका कहा जाने वाला पृष्ठांकित लेख उसका है। उस दिन के उसके कार्यकलापों का विवरण इस प्रकार है। वह 12 अक्टूबर, 1961 को तूफान एक्सप्रेस के तृतीय श्रेणी के एक डिब्बे में चढ़ा था और रोशन में अपने पिता की बहन की लड़की के घर जाना चाहता था और इसके बाद अपने जन्म स्थान जाना चाहता था। वह मधुपुर 12-30 बजे अपराह्न पहुंचा और रोशन के लिए रवाना हो गया। कुछ दूर जाने पर वह रास्ता भूल

1968(12) eILR(PAT) SC 1

गया और कुछ चरवाहों से उस गांव का रास्ता पूछा। उन चरवाहों ने रास्ता भूल जाने के कारण उसे गाली देना शुरू कर दिया। उसके प्रतिवाद करने पर लड़ाई हो गई। उस वक्त एक और चरवाहा लाठी के साथ आ गया जो शीशे की तरह चमक रही थी और उसने लाठी से उस पर हमला करना चाहा। जब उसने लाठी पकड़ी तो उसका हाथ कट गया और उसमें से खून बहने लगा। उसके कपड़ों और पुस्तकों पर भी खून के धब्बे लग गए और इस पर वह चरवाहा भाग गया। उसने साबुन खरीदा और नहाने और अपने कपड़ों को धोने के लिए पतरो नदी पर गया। जो लोग उसे वहां मिले उन्होंने उससे उसकी क्षति के बारे में पूछा था और उसने उनसे वही कहा था जिसका उल्लेख अभी किया गया है। इसके पश्चात् जब वह रोशन गांव के निकट पहुंचने वाला था तब बहुत से लोग आए और उसे हत्या के आरोप में पकड़ लिया गया। वे उसे रात में 8 बजकर 30 मिनट पर मुखिया के घर ले गए और उसे वहां रखे रहे और लाठियों से मारते रहे। मुखिया ने उससे कहा कि वह अपना दोष स्वीकार कर ले और एक बयान दे और ऐसा करने से इन्कार करने पर उसे फिर मारा गया और उसे मौत की धमकी दी गई। डर के मारे उसने निरंक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए।

साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय ने यह पाया कि गाड़ी जसीडीह स्टेशन से दोपहर को 3 बज कर 23 मिनट पर रवाना हुई और इसके ठीक बाद ही उसे मधुपुर पर रुकना था जहां पर वह दोपहर को 3 बज कर 52 मिनट पर पहुंची। जसीडीह स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे का दरवाजा बन्द पाया गया और खोला नहीं जा सका। उच्च न्यायालय का यह मत है कि हत्या जसीडीह और मधुपुर के बीच प्रथम श्रेणी के डिब्बे के शौचालय में की गई थी। जो साक्ष्य दिया गया था उसकी गहन संवीक्षा करने पर उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों का पता चला—

(क) हत्या के लगभग दो घंटे बाद ही अर्थात् शाम के पांच और छह के बीच उसे पतरो नदी के किनारे पर खून के दाग वाले कपड़े धोते हुए देखा गया।

(ख) रामकिशोर पांडे और अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके पकड़े जाने के समय वह खून के धब्बों वाली कापियां और कुछ अन्य पुस्तकें पकड़े हुए था, जिनके कुछ पृष्ठों पर खून के धब्बे लगे हुए थे।

(ग) उस समय उसके हाथ में एक चाकू भी था जिसकी फलक और हत्थे की लम्बाई लगभग 9 इंच थी।

(घ) चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार आहत व्यक्ति को जो क्षतियां पहुंचाई गई थीं वह उस चाकू से पहुंचाई जा सकती थीं जो अपीलार्थी के कब्जे में था।

आड़ी कटी हुई क्षतियों में से एक क्षति अर्थात् क्षति सं० 6 5″×2″×3/4″ की थी।

(ड़.) उक्त नदी के किनारे पर प्रत्यर्थी का बायां हाथ कटा हुआ देखा गया था। अपीलार्थी के शरीर पर अन्य क्षतियों के जो चिह्न पाए गए थे वे उस गाड़ी के डिब्बे में आहत व्यक्ति से हाथापाई में हो सकते थे।

(च) उसके पास खून के धब्बों वाले कपड़ों और वस्तुओं के पाए जाने और उसके शरीर पर क्षतियों के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह माना नहीं जा सकता।

साक्ष्य के मन्थन से निकाली गई ऊपर लिखित अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों के प्रकाश में प्रदर्श 6 में अपराधी का कथन में यह स्वीकार करना कि उसने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ एक ही डिब्बे में यात्रा की थी, जो बाद में पहचाना गया कि वह जयप्रकाश दूबे था, अपीलार्थी के दोष को साबित करने के लिए निश्चायक होगा यदि प्रदर्श 6 में लालमोहन शर्मा के भाग के बारे में उसका कथन नामंजूर कर दिया जाए। अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया है कि वह हत्या के स्थल पर उपस्थित था किन्तु उसका कहना है कि अपराध किसी और व्यक्ति ने किया था और वह स्वयं एक असहाय दर्शक मात्र था। जब हमलावर गाड़ी से कूद पड़ा तो इसने भी उसका अनुसरण किया क्योंकि उसे आशंका थी कि वह उस अज्ञात व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। उसने ऐसा पतरो नदी के पास किया। यह पाया गया कि उस कथन के कुछ भाग स्वीकार नहीं किए जा सकते। यह विश्वास करना सम्भव नहीं है कि यदि लालमोहन शर्मा हत्या करना चाहता था तो उसने जसीडीह स्टेशन पर अपीलार्थी को गाड़ी से उतरने से रोका होगा जिससे कि वह एक ऐसा साक्षी उपस्थित रहे जो उसका नाम और पता जानता था और जो उसके अपराध का परिसाक्ष्य दे सकता था। लालमोहन शर्मा झाझा स्टेशन पर गाड़ी में नहीं था तथा आहत व्यक्ति और उसके बीच किसी प्रकार की लड़ाई के कोई ब्योरे नहीं दिए गए थे जिनके कारण लालमोहन शर्मा जयप्रकाश पर हमला करता। प्रकटतः लालमोहन शर्मा के अपराध करने का कोई हेतु दिखाई नहीं देता। फिर यह विश्वास करना भी सम्भव नहीं है कि लालमोहन शर्मा ने अपीलार्थी को खत्म करने का प्रयत्न नहीं किया। अपीलार्थी ने अपने बाएं हाथ पर रेल के डिब्बे में क्षति पाने की जो बात कही वह अविश्वसनीय है। ऐसी ही कहानी चरवाहे के साथ हुई लड़ाई और उसके परिणामस्वरूप हाथ के कट जाने की है। चरवाहों का अपीलार्थी को गाली देने का कारण और उसका प्रतिवाद और उसके बाद उसके शरीर पर हमला यह सब बातें काल्पनिक प्रतीत होती हैं। अपीलार्थी को जो कटी हुई क्षति पहुंची थी वह त्वचा से नीचे नहीं थी और इस बात को नहीं माना जा सकता कि खून इतना अधिक बहा था कि उसे अपनी कमीज और पायजामा नदी में धोने की आवश्यकता पड़ी और ऐसी क्षति से यह हो सकता है कि पेटी, जूते और पुस्तकों जैसी

वस्तुएं खून के दागों से भर जातीं जिनको धोकर दाग हटाने का प्रयास किया गया था।

अपीलार्थी की ओर से जो यह दलील दी गई थी कि कथन स्वेच्छया नहीं किया गया था और इस प्रकार उसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता उसे उच्च न्यायालय ने नामंजूर करके ठीक ही किया है। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि ऐसा कोई भी प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं किया गया था जो अपीलार्थी को मुखिया के पास ले गया था और जो प्रति-परीक्षा के लिए भी पेश किया गया था कि क्या उनमें से किसी ने अपीलार्थी को मारापीटा था और न ही कोई ऐसा प्रश्न किया गया था कि अपीलार्थी को प्रपीड़ित किया गया था या धमकी दी गई थी कि यदि उसने कथन न किया तो इसके बुरे परिणाम होंगे। स्वयं अपीलार्थी का यह कहना कि उसे निरंक कागज पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, उसी की इस बात का खंडन करता है कि उसने वह कथन धमकी या मारपीट के कारण किया क्योंकि वैसा करने के लिए तो बस इतना ही आवश्यक था कि उसके हस्ताक्षर ले लिए जाते।

अपीलार्थी के काउन्सेल ने यह प्रश्न उठाने का प्रयास किया कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे के शौचालय में पैरों और अंगलियों के जो निशान मधुपुर स्टेशन पर लिए गए थे वे अपीलार्थी के पैरों के निशानों और अंगलियों के निशानों से भिन्न पाए गए थे और इससे यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी हत्यारा नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने इस दलील को इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि जब पुलिस ने उस मामले को हाथ में लिया था उसके पहले गाड़ी के उस डिब्बे में बहुत से लोग प्रवेश कर चुके थे, और इसलिए ऊपर बताया गया अन्तर कोई ऐसा आधार नहीं है जिसका अवलंब लिया जा सके।

उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अपीलार्थी का यह कहना कि वह आहत व्यक्ति को नहीं जानता था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्श 6 में उसका यह कथन कि उसे घाव कैसे लगा धारा 342 के अधीन उसके कथन से बिल्कुल भिन्न है। उच्च न्यायालय ने उसका यह कहना भी स्वीकार नहीं किया कि वह रोशन में रहने वाली अपनी बहन के गांव का रास्ता भूल गया था और यह कि वह क्षति उसे रास्ते में पहुंची थी जैसा कि उसने धारा 342 के अधीन किए गए अपने कथन में कहा है। अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां जो उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त रूप में बताई हैं चाहे कितनी ही गंभीर क्यों न हों पर वे अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जब तक कि उसके कथन, प्रदर्श 6 का एक भाग उनके साथ मिला न लिया जाए। यही वह कथन है जिसमें यह स्वीकृति है कि वह बरौनी पैसेंजर के उस डिब्बे में यात्रा कर रहा था जिसमें उसने एक हत्या होते देखी और यह कि वह मधुपुर पहुंचने से पहले पतरो नदी के पास गाड़ी से कूद पड़ा था तथा समस्त साक्ष्य से जिसमें से प्रदर्श 6 का वह भाग निकाल दिया जाए जो स्वीकार्य नहीं है, अपीलार्थी के दोष का निष्कर्ष अनिवार्यतः निकलता है।

1968(12) eILR(PAT) SC 1

अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने हमारे समक्ष यह दलील दी कि यदि कथन पर विचार होना है तो उसे समग्र रूप से लेकर विचार करना चाहिए और न्यायालय उसके एक भाग को नामंजूर करके दूसरे भाग पर विचार नहीं कर सकता। काउन्सेल ने अपनी इस दलील के समर्थन में कि जिस कथन में कोई स्वीकृति या संस्वीकृति अन्तर्विष्ट हो उस पर समग्र रूप से विचार करना चाहिए और न्यायालय एक भाग को स्वीकार करके शेष भाग को नामंजूर करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है, इस न्यायालय के तीन निर्णयों को सहारा लिया है। हमारा यह मत है कि इस व्यापक प्रस्थापना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वीकृतियों की साधारण विधि के सम्बन्ध में टेलर ने अपने लॉ ग्राफ एविडेंस (11वां संस्करण) अनुच्छेद 725, पृष्ठ 502 पर कहा है कि प्रथम महत्वपूर्ण नियम यह है कि—

> *"the whole statement containing the admissions must be taken together ; for though some part of it may be favaurable on the party, and object is only to ascertain what he had conceded against himself, and what may therefore be presumed to be true, yet unless the whole is received, the true meaning of the part, which is evidence against him, cannot be ascertained. But though the whole of what he said at the same time, and relating to the same subject, must be given in evidence it does not follow that all the parts of the statement should be regarded as equally deserving of credit ; but the jury must consider, under the circumstances, how much of the entire statement they deem worthy of belief, including as well the facts asserted by the party in his own favour as those making against him."

---

*हिन्दी में यह इस प्रकार हो सकता है—

> "स्वीकृतियों वाले सम्पूर्ण कथन को समग्र रूप से लेना चाहिए चाहे उसका कुछ भाग पक्षकार के पक्ष में हो और इसका उद्देश्य केवल यह अभिनिश्चित करना हो कि उसने अपने विरुद्ध क्या स्वीकार किया और इसलिए किस बात को सत्य मानना चाहिए किन्तु जब तक कथन समग्रतः नहीं लेते हैं तब तक उस भाग का सही अर्थ जो उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में है, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। किन्तु यद्यपि उसने एक ही समय, और एक ही विषय से सम्बन्धित जो कुछ कहा था उसे समग्रतः साक्ष्य में दिया जाना चाहिए। तथापि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि कथन के सभी भागों के बारे में यह समझा जाना चाहिए कि वे समान रूप से विश्वसनीय है लेकिन जूरी को परिस्थितियों को देखते हुए यह विचार करना चाहिए कि उस समस्त कथन में से, जिसमें वे तथ्य हैं जो पक्षकार ने अपने पक्ष में कहे हैं और वे तथ्य भी शामिल हैं जो उसने अपने विरुद्ध कहे हैं कितना भाग विश्वास के योग्य है।"

दाण्डिक मामलों के सम्बन्ध में टेलर का कहना है—

*"In the proof of confessions—as in the case of admissions in civil causes—the whole of what the prisoner said on the subject at the time of making the confession should be taken together. x x x x x

But if, after the entire statement of the prisoner has been given in evidence, the prosecutor can contradict any part of it, he is at liberty to do so; and then the whole testimony is left to the jury for their consideration, precisely as in other cases where one part of the evidence is contradictory to another. Even without such contradiction it is not to be supposed that all the parts of a confession, are entitled to equal credit. The Jury may believe that part which charges the prisoner, and reject that which is in his favour, if they see sufficient grounds for so doing. If what he said in his own favour is not contradicted by evidence offered by the prosecutor, nor is improbable in itself, it will be naturally believed by the jury, but they are not bound to give

---

*हिन्दी में यह इस प्रकार हो सकता है—

"संस्वीकृतियों के सबूत में—जैसा कि सिविल हेतुकों में स्वीकृतियों के मामले में होता है—संस्वीकृति करते समय कैदी ने उस विषय पर क्या कहा था उस पर समग्रतः विचार करना चाहिए x x x x x x

किन्तु यदि कैदी का समस्त कथन साक्ष्य में दे दिया गया है तो अभियोजक उसके किसी भी भाग का प्रतिवाद कर सकता है। वह इसके लिए स्वतंत्र है और इसके बाद सम्पूर्ण परिसाक्ष्य जूरी के विचार के लिए छोड़ दिया जाता है ठीक वैसे ही जैसे कि उन अन्य मामलों में होता है जहां साक्ष्य का एक भाग दूसरे भाग के प्रतिकूल होता है यदि ऐसी प्रतिकूलता न भी हो तो भी यह नहीं माना जाता है कि संस्वीकृति के सभी भागों पर समान रूप से विश्वास किया जाना चाहिए। जूरी उस भाग पर विश्वास कर सकती है जो कैदी पर आरोप लगाता हो और उस भाग को नामंजूर कर सकती है जो उसके पक्ष में हो यदि उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार दिखाई दें। यदि जो कुछ उसने अपने पक्ष में कहा है वह अभियोजक द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से प्रतिकूल नहीं ठहराया जाता और न ही वह स्वयं में अनधिसंभाव्य है, तो जूरी स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास करेगी किन्तु जूरी इस आधार पर उसे महत्त्व देने के लिए आबद्ध

weight to it on that account, being at liberty to judge of it, like other evidence, by all the circumstances of the case."

रोस्को की पुस्तक क्रिमिनल एविडेंस (16वां संस्करण, पृष्ठ 52) में विधि का कथन लगभग इसी प्रकार का है। रोस्को ने भी **रेक्स** बनाम **क्लूज**(1) में दिए गए विनिश्चय को उद्धृत किया है। उस मामले में उस कैदी की, जिस पर हत्या का आरोप लगाया गया था, यह संस्वीकृति कि वह हत्या के समय उपस्थित था किन्तु वह हत्या किसी और व्यक्ति ने की थी और यह कि उसने उसमें कोई भाग नहीं लिया था, जूरी के विचार के लिए छोड़ दी गई थी और यह निदेश दिया गया था कि जूरी यदि उचित समझे तो वह उसके एक भाग पर विश्वास और दूसरे भाग पर अविश्वास कर सकती है। आर्चबोल्ड की क्रिमिनल प्लीडिंग, एविडेंस एण्ड प्रैक्टिस (36वां संस्करण, पृष्ठ 423) के अनुसार —

* "In all cases the whole of the confession should be given in evidence; for it is a general rule that the whole of the account which a party gives of a transaction must be taken together; and his admission of a fact disadvantageous to himself shall not be received, without receiving at the same time his contemporaneous assertion of a fact favourable to him, not merely as evidence that he had made such assertion, but admissible evidence of the matter thus alleged by him in his discharge x x x x x x It has been said that if there be no other evidence in the case, or none which is incompatible with the confession, it must be taken as true; but the better opinion seems to be

---

नहीं है क्योंकि वह अन्य साक्ष्य की तरह मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए उसका निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है।"

*"सभी मामलों में सम्पूर्ण संस्वीकृति साक्ष्य में दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक साधारण नियम है कि कोई भी पक्षकार किसी संव्यवहार का जो विवरण देता है उसे एक साथ लिया जाना चाहिए और किसी तथ्य की उसकी स्वीकृति को, जो उसके लिए अहितकर हो, उसके पक्ष में दिए गए समकालिक कथन को ग्रहण किए बिना केवल ऐसे साक्ष्य के रूप में ही नहीं कि उसने ऐसा कथन किया है बल्कि जो उसने अपनी दोषमुक्ति में अभिकथित किया है विषय के ग्राह्य साक्ष्य के रूप में x x x x ऐसा कहा गया है कि यदि मामले में कोई अन्य साक्ष्य न हो या कोई साक्ष्य उस संस्वीकृति से असंगत न हो तो उसे सही माना जाना चाहिए किन्तु

(1) 4 कार० एण्ड पी० 221.

that, as in the case of all other evidence, the whole should be left to the jury, to say whether the facts asserted by the prisoner in his favour be true."

इस मामले में प्रदर्श 6 में अपीलार्थी का कथन, जिसका यह दर्शित करने के लिए सहारा लिया गया है कि अपीलार्थी अपराध का दोषी नहीं हो सकता, पूर्णतया अस्वीकार्य पाया गया। अपीलार्थी का कथन कि अपराध लालमोहन शर्मा ने किया, जसीडीह स्टेशन पर गाड़ी से उतरने से उसे रोका गया, प्रकटतया लालमोहन का अपराध करना और अपीलार्थी को उसका साक्षी होने के लिए विवश करना और अपीलार्थी का यह कहना कि किस रीति से उसे वह क्षति पहुंची थी, यह सब उच्च न्यायालय ने अस्वीकार्य किया और हमें ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हम कोई भिन्न निष्कर्ष निकालें। तालिकाबद्ध अपराध में फंसाने वाली अन्य परिस्थितियों पर अपीलार्थी के इस कथन के साथ विचार करने पर कि जब हत्या की गई थी तब वह उस डिब्बे में उपस्थित था, कि वह गाड़ी से नदी के निकट कूद पड़ा था, कि उसे क्षति किस प्रकार पहुंची थी इसके बारे में उसने भिन्न कथन किया था, उसका यह कथन कि वह रोशन गांव का रास्ता भूल गया था, अस्वीकार्य है और इन सबसे निश्चायक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने हत्या की थी।

इस न्यायालय के उन निर्णयों में, जिनके प्रति निर्देश किया है, कोई ऐसी बात नहीं है जो अपीलार्थी की सहायता कर सके। **हनुमंत** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] के तथ्य इस प्रकार थे—भ्रष्टाचार निवारण विभाग के पुलिस सहायक महानिरीक्षक के परिवाद फाइल करने पर नरगुंदकर और पटेल नाम के दो व्यक्तियों का निविदा प्रदर्श पी-3ए की कूटरचना करके सिवनी की आसवनी की एक संविदा अभिप्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का अपराध करने के लिए तथा निविदा और एक अन्य दस्तावेज प्रदर्श पी-24 की कूटरचना का अपराध करने के लिए विचारण किया गया था। विशेष मजिस्ट्रेट ने दोनों अपीलार्थियों को इन तीनों आरोपों के लिए सिद्ध दोष ठहराया। सेशन न्यायाधीश ने दोनों अपीलार्थियों की दाण्डिक षड्यंत्र के प्रथम आरोप के अधीन दोषसिद्धि को अभिखंडित कर दिया किन्तु प्रदर्श पी-3ए और पी-24 की कूटरचना के आरोपों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 465 के अधीन दोषसिद्धियों और दण्डादेशों को कायम रखा। दोनों अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय से पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया किन्तु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। विशेष इजाजत लेकर की गई अपील में साक्ष्य की परीक्षा करते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रदर्श पी-3ए में निचले न्यायालयों

सही राय यह है कि जैसा सभी अन्य साक्ष्य के मामलों में होता है सम्पूर्ण साक्ष्य जूरी पर यह निर्णय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि कैदी ने जो तथ्य अपने पक्ष में कहे हैं वे सही हैं या नहीं।"

(2) (1952) एस० सी० आर० 1091.

1968(12) eILR(PAT) SC 1

ने जिन विशिष्ट बातों का सहारा लिया है उन पर विचार नहीं करना चाहिए और यह अभिनिर्धारित किया कि वस्तुतः प्रदर्श पी-3ए के असली दस्तावेज होने से असंगत कोई परिस्थितियां मौजूद नहीं थीं। प्रदर्श पी-24 के सम्बन्ध में जो आरोप था उसके बारे में विचारण मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालने में विशेषज्ञों के साक्ष्य का प्रयोग किया कि पत्र प्रदर्श पी-24 पदार्थ 'ए' पर टाइप किया गया था जो दिसम्बर 1946 के अन्त तक नागपुर नहीं पहुंचा था और इसलिए उस पत्र पर पहले की तारीख डाली गई थी। यद्यपि उच्च न्यायालय का यह मत था कि विशेषज्ञों का साक्ष्य अग्राह्य है फिर भी उसने उस पर विचार किया और उसका कुछ सहारा लिया। निचले न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया कि विशेषज्ञों के साक्ष्य की धारा 342 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त के कथनों से सम्पुष्टि हो जाती है। इस निष्कर्ष को नामंजूर करते हुए इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया—

> "यदि विशेषज्ञों के साक्ष्य को हटा दिया जाए तो प्रदर्श पी-24 के बारे में यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई बात नहीं रह जाती कि वह पदार्थ 'ए' पर टाइप किया गया था। विचारण मजिस्ट्रेट और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए अभियुक्त के कथन के एक भाग का उपयोग किया कि चूंकि पत्र पदार्थ 'बी' पर टाइप नहीं किया गया है इसलिए यह अवश्य ही पदार्थ 'ए' पर टाइप किया गया होगा। अभियुक्त के कथन का ऐसा उपयोग पूर्णतया अनभीष्ट था। यह सुस्थापित विधि है कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति को, चाहे वह संस्वीकृति के बराबर हो या न हो, तोड़ा नहीं जा सकता है और न ही उसके एक भाग का उपयोग उसके विरुद्ध किया जा सकता है। स्वीकृति का या तो पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए या उसका बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि अभियुक्त के कथन का उपयोग पूर्ण रूप से किया जाता है तो उससे अभियोजन पक्ष का मामला पूर्णतया समाप्त हो जाता है और यदि इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता तब अभिलेख पर कोई ऐसी सामग्री ही नहीं रह जाती जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वह पत्र उस तारीख को जो उस पर पड़ी हुई थी नहीं लिखा गया था x x x। हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यह पत्र प्रदर्श पी-24 पूर्व तिथीय था और ऐसा होने पर इस पत्र की कूटरचना के बारे में जो आरोप लगाया गया है वह भी विफल होता है।"

अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने विधि के उपरोक्त कथन का अपनी इस दलील की सहायता के लिए सहारा लेने का प्रयास किया है कि प्रदर्श 6 में जो कथन किया गया है उसे या तो पूर्ण रूप से लिया जाना चाहिए या उसे बिल्कुल नामंजूर कर दिया जाना चाहिए। हमारा यह मत है कि **हनुमंत के मामले** में न्यायिक विनिश्चय का आधार

यह नहीं था। जैसा कि इस न्यायालय ने बताया था कि विशेषज्ञों के साक्ष्य को हटा देने पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि प्रदर्श पी-24 पदार्थ 'ए' पर टाइप किया गया था और परिणामस्वरूप इस विषय में जो साक्ष्य है वह अभियुक्त के कथन में ही है इसलिए दोषी ठहराने वाले भाग को छोड़कर उसके दूसरे भाग का सहारा नहीं लिया जा सकता।

विद्वान् काउन्सेल ने आगे जिस मामले को उद्धृत किया है उसमें यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। **पलविंदर कौर** बनाम **पंजाब राज्य**(3) में अपीलार्थी का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन उसके पति की हत्या के आरोप से सम्बन्धित अपराधों के लिए विचारण किया गया था। सेशन न्यायाधीश ने उसे धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया था किन्तु धारा 201 के अधीन आरोप के सम्बन्ध में कोई अधिमत अभिलिखित नहीं किया। अपील करने पर उच्च न्यायालय ने उसे हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया किन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अधीन उसे सिद्धदोष ठहराया। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इसके समर्थन में अत्यधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य अपीलार्थी की संस्वीकृति है जो यद्यपि वापस ले ली गई थी तथापि उसकी एक स्वतंत्र साक्ष्य से संपुष्टि हो जाने के कारण आरोप सिद्ध हो गया था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि निश्चित रूप से यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी के पति की मृत्यु जहर देने के कारण हुई थी और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन लगाया गया आरोप भी विफल होना चाहिए। इस न्यायालय के अनुसार उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में न केवल संदेहों और धारणाओं पर बल्कि अग्राह्य साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की। अपीलार्थी की अभिकथित संस्वीकृति के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय ने उस मामले में उसे साक्ष्य मानने में न केवल गलती ही की थी बल्कि यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात् कि शेष भाग मिथ्या है, उसके एक भाग को स्वीकार करके आगे और गलती की है। उस मामले में साक्ष्य से यह प्रकट होता था कि अपीलार्थी के पति का शरीर एक ट्रंक में मिला था और वह एक कुएं में से बरामद हुआ था और यह कि अभियुक्त ने उस शरीर के निपटाने में भाग लिया था किन्तु उसकी मृत्यु का हेतुक या वह रीति और वे परिस्थितियां, जिनमें उसकी मृत्यु हुई थी दर्शित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं था। **हनुमंत के मामले** (उपरोक्त) के विनिश्चय के प्रति निर्देश करते हुए यह बात दोहराई गई थी कि न्यायालय किसी कथन के दोषी ठहराने वाले भाग को स्वीकार करते हुए उस भाग को नामंजूर नहीं कर सकता जो निर्दोष ठहराता है। न्यायालय ने **सम्राट** बनाम **बालमुकन्द**(4) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने जो मत व्यक्त किए थे, उनका हवाला देते हुए उनसे अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की।

---

(3) (1953) एस० सी० आर० 94.

(4) आई० एल० आर० 52 इलाहाबाद 1011.

1968(12) eILR(PAT) SC 1

इलाहाबाद वाले मामले में जो प्रश्न पूर्ण न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया था वह यह था कि क्या न्यायालय किसी संस्वीकृति के दोषी ठहराने वाले भाग को जो विश्वासप्रद है स्वीकार करते हुए निर्दोष ठहराने वाले भाग को, जो सहज रूप से अविश्वसनीय था, नामंजूर कर सकता है। काफी संख्या में उद्धृत प्रमाणिक व्यवस्थाओं के प्रति निर्देश करने पर पूर्ण न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया कि इन प्रमाणिक व्यवस्थाओं से वस्तुत: इस बात के सिवाय और कुछ भी साबित नहीं होता कि—(क) जहां कोई और साक्ष्य मौजूद हो वहां संस्वीकृति का कोई भाग अन्य साक्ष्य के शेष भाग पर कार्यवाही करते हुए उस साक्ष्य के प्रकाश में नामंजूर किया जा सकता है और (ख) जहां कोई अन्य साक्ष्य मौजूद न हो और निर्दोष ठहराने वाला तत्व सहज रूप से अविश्वसनीय न हो वहां न्यायालय दोषारोपण सम्बन्धी तत्व को मंजूर और निर्दोष ठहराने वाले तत्व को नामंजूर नहीं कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के अनुसार ऊपर कथित दोनों नियम पिछले एक सौ वर्षों से लागू किए जा रहे हैं और पूर्ण न्यायपीठ ने उस निर्देश का यह अभिनिर्धारित करते हुए उत्तर दिया "जहां निश्चित रूप से यह दर्शित करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य मौजूद न हो कि संस्वीकृति में निर्दोष ठहराने वाले तत्व का कोई भाग मिथ्या है वहां न्यायालय को संस्वीकृति को पूर्ण रूप से मंजूर या नामंजूर करना चाहिए और न्यायालय निर्दोष ठहराने वाले तत्व को सहज रूप से अविश्वसनीय रूप में नामंजूर करते हुए केवल दोषारोपण सम्बन्धी तत्व को मंजूर नहीं कर सकता।"

विधि के उपरोक्त कथन का सहारा लेते हुए इस न्यायालय ने पलविन्दर कौर के मामले में यह कहा था कि अभिकथित संस्वीकृति में अन्तर्विष्ट उसके कथन का यह साबित करने के लिए कि उसके पति की मृत्यु जहर देकर की गई थी या किसी अपराध के किए जाने के परिणामस्वरूप की गई थी, उपयोग नहीं किया जा सकता और जब इस संस्वीकृति को पूर्णतया अपवर्जित कर दिया गया तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई साक्ष्य ही नहीं रह जाता कि उसके पति की मृत्यु पोटाशियम सायनाइड देने के परिणामस्वरूप हुई थी।

काउन्सेल ने इस न्यायालय के जिस अन्तिम विनिश्चिय अर्थात् **नारायण सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**(5) का निर्देश किया था, उससे कुछ लाभ नहीं होता इसलिए ऊपर वर्णित मामले में अभिकथित विधि विषयक प्रस्थापनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

इस मामले में प्रदर्श 6 में कथन का निर्दोषिता सम्बन्धी भाग न केवल सहज रूप से अनधिसंभाव्य है बल्कि अन्य साक्ष्य उसके प्रतिकूल है। इस कथन के अनुसार जो क्षति अपीलार्थी को पहुंची थी वह आहत व्यक्ति पर हमला करने से रोकने के लिए लाल मोहन शर्मा का हाथ पकड़ने का प्रयत्न करते हुए अपीलार्थी को पहुँची थी। इस बात का प्रतिवाद दण्ड

(5) (1963) 3 एस० सी० आर० 678.

1968(12) eILR(PAT) SC 1

प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन स्वयं अभियुक्त के कथन से हो जाता है कि उसे वह क्षति एक चरवाहे के साथ लड़ाई के कारण पहुंची थी। जब 13 अक्टूबर, 1961 को डाक्टर ने उसकी परीक्षा की थी तब जो क्षति उसके शरीर पर पाई गई थी उससे ये दोनों कथन मिथ्या हो जाते हैं। इन दोनों कथनो में से किसी से इतना अधिक खून बहने का जिसके कारण उसने अपने कपड़े धोए और पतरो नदी में स्नान किया था कोई कारण नहीं मिलता। खून की मात्रा और खून के दागों को धोना इतना ध्यानाकर्षक था कि उससे रामेश्वर पांडे, अभियोजन साक्षी 17, का ध्यान आकर्षित हो गया और उसने उसका कारण पूछा। खून का बहना कोई साधारण सा नहीं था क्योंकि उसके सारे कपड़े खून के दागों से भर गए थे और साथ ही उसकी पुस्तकें, उसकी कापियां, उसकी पेटी और जूते भी खून से भर गए थे। इसके अलावा जो चाकू उसके शरीर पर पाया गया था उस पर रसायन परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार खून लगा हुआ था। शव परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यह चाकू आहत व्यक्ति की क्षतियों का कारण हो सकता था। ऐसी परिस्थितियों में प्रदर्श 6 में अपीलार्थी के कथन के निर्दोषिता सम्बन्धी भाग को नामंजूर करने का काफी साक्ष्य होने के कारण उच्च न्यायालय ने दोषारोपण सम्बन्धी भाग को मंजूर करके और उसे अन्य साक्ष्य के साथ मिलाकर यह निष्कर्ष निकालकर ठीक ही किया है कि अपीलार्थी ही अपराध के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।

अतः अपील असफल होती है तथा दोषसिद्धि और दण्डादेश को कायम रखा जाता है।

अपील खारिज कर दी गई।

ब्रज